**भारत सरकार**

परमाणु ऊर्जा विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या** 1601

जिसका उत्तर दिनांक 27.12.2018 को दिया जाना है

**कोव्वाडा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र**

1601. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने हेतु आंध्र प्रदेश स्थित कोव्वाडा को चिह्नित किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थान की पहचान करने तथा उसे अंतिम रूप देने से पहले उस क्षेत्र में रह रहे लोगों से कोई परामर्श किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय ( डॉ. जितेन्द्र सिंह ):

(क) जी, हाँ।

(ख) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कोव्वाडा में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थल पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने की दृष्टि से उसकी उपयुक्ता का मूल्यांकन, सरकार की स्थल चयन समिति (एसएससी) द्वारा किया गया। एसएससी की संस्तुति के आधार पर सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए स्थल को वर्ष 2009 में 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया था। उक्त स्थल पर 1208 मेगावाट प्रत्येक की छः यूनिटों की स्थापना करने की योजना है।

(ग) तथा (घ) 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के पश्चात, भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई आरंभ की गई। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के अनुसार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) किया गया तथा प्रभावित गांवों के लिए जन सुनवाई की गई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*****